Excise Case No.-102/2016

बाद में
12-12-2023:- विचारण के एकमात्र अभियुक्त बुधन बैठा की ओर से हाजिरी, शपथ साथ एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्व प्रचालित किया गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त बुधन बैठा पर प्रस्तुत वाद में शराब पीकर हंगामा करने का धारा–37(b) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 का आरोप हैं। धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम–2022 के अंतर्गत अर्थदण्ड का प्रावधान हैं। अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करते है। अतः इनसे न्यूनतम अर्थदण्ड लेने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद मे धारा–37(b) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अभियुक्त बुधन बैठा के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करते है। अभियुक्त शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन करते है कि यह उनका पहला अपराध है।

अतः धारा– 37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2016, 2018 एवं बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र–VII में आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

बाद में
12-12-2023:- उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त बुधन बैठा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि मों0–2,000/–(दो हजार रू0) चालान के माध्यम से नजारत रसीद संख्या–4554, दिनांक–12.12.2023 एवं चालान संख्या–2266, दिनांक–12.12.2023 के द्वारा जमा की गई है। तद्नुसार इस वाद में अभियुक्त बुधन बैठा के विरूद्व लगे आरोप धारा–37 बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 का वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

प्रपत्र–VII

आदेश – पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

न्यायालयः–. अनन्य विशेष न्यायाधीश, (उत्पाद), शिवहर

केश नं0–ex-102/2016, Ex-102/2016,

बिहार मद्यनिषध और उत्पाद अधिनियम 2016

1. अभियुक्त का नाम कृष्ण बैठा
2. उम्र
3. पिता का नाम राम अशीष बैठा
4. पता बसंतपुर, थाना - रीगा, जिला - सीतामढ़ी
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान 15.11.2016, 18:02 करैया चौक
6. पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि -16.11.2016

पुलिस /उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस /उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद्द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 16.11.2016 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह करैया चौक (स्थान) में पकड़ा गया । अभियुक्त की चिकित्सीय परिक्षा/ श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसन अल्कोहल / शराब का उपयोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया । मैनें उसका बयान दर्ज किया ।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का वचन करता हूँ। उसने दोषी होने का अभीवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित हैं ।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 37 के अधीन 2000/- रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

Khyati
अनन्य विशेष न्यायाधीश, (उत्पाद),
शिवहर।
12-12-2023

तिथिः– 12-12-2023
स्थानः– शिवहर

बिहार– राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के अवर मुख्य सचिव।